



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243760
CG-DL-E-21022023-243760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752]
No. 752]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2023

का.आ. 784(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि तेलंगाण राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए "क्रिष्णपट्टनम – हैदराबाद पेट्रोलियम & पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में तेलंगाण राज्य के लिए सक्षम प्राधिकारी, "कृष्णपट्टनम – हैदराबाद पेट्रोएलुम & पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन परियोजना" भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसिएल), मकान संख्या 8-2-293/82/A/264-A, पहला तल, रोड नं 10, जुब्ली हिल्स हैदराबाद, तेलंगाण – 500033, को लिखित पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन्स प्रोजेक्ट्स को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला:- नलगोंडा

संभाग- मिरयालागुडा

1	2	3	4	5	6	7
मंडल:	ग्राम	सर्वे सं.	सब-डीव सं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
थिरीपुरारम	बेज्जिकल	148	--	00	01	03
		238	--	00	00	72
	थिरीपुरारम	220	--	00	07	65

[फा. सं. आर -11025(15)/2/2020-ओआर-I/ई-33831]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2023

S.O. 784(E).—Whereas, it appears to the Central Government of Petroleum Products, that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Products Pipeline Originating from Krishnapatnam to Hyderabad. Should be laid in the state of Telangana by Bharat Petroleum Corporation Limited.

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under sub – section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the gazette of India, or made available to the general public. Object to the acquisition of the Right of the users therein for earthening the pipe line under the land in the State of Telangana by BPCL. In writing to the Competent Authority, Krishnapatnam - Hyderabad Pipeline Project Bharat Petroleum Corporation limited, House No. 8-2-293/82/A/264-A, First Floor, Above Canara Bank, Road No. 10, Jubilee Hills, and Hyderabad -500033.

SCHEDULE

District: - Nalgonda

Revenue Division: - Miryalaguda

1	2	3	4	5	6	7
Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Sub-Divi- No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
Thripuraram	Bejjikal	148	--	00	01	03
		238	--	00	00	72
	Thripuraram	220	--	00	07	65

[F. No. R-11025(15)/2/2020-OR-1/E-33831]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.